

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

क्रमा नं० 156/2024

तारीख रजू :- 20/8/2024

प्रार्थना पत्र बाबत धारा अस्थायी निषेधाज्ञा

ल आई0डी0 नम्बर 2024/376

उनवान

त पुत्र हरीचरण जाति जाटव निवासी सौमलारात्रा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

—सायल

बनाम

वरण पुत्र गुरगा जाति जाटव निवासी सौमलारात्रा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

—गैरसायल-03

दिनांक	फर्द अहकाम
20/8/2024	<p>आज यह प्रार्थना पत्र सायलान की ओर से श्री रामखिलाडी सैनी अधिवक्ता. ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील सायलान को एकतरफा सुना गया। मजाहमत मदाखलत नही करने, बेदखल नहीं करने व रहनव्यय नही करने हेतु उभयपक्ष को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 537, 538, 256, 547 वाके ग्राम सौमला रात्रा तहसील सूरौठ में रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु एवं तलबी गैरसायलान को रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं किये जाने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। वास्ते रजिस्टर्ड तलवी पत्रावली दिनांक 01.10.2024 को पेश हों।</p> <p align="right">(हेमप्रजि गुर्जर) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p> <p>वकूलाय उपस्थित/पीठारसीन अधिकारी को पेश में था पधारे है। गतानुसार दिनांक.....को पेश हो 18/24</p> <p>18/11 वकूलाय उपस्थित/पीठारसीन अधिकारी को पेश में था पधारे है। गतानुसार दिनांक.....को पेश हो 12-12/24</p> <p>22/11 गतानुसारी काक वाकिल की डीर की हेमसायली को पेश में था पधारे है। गतानुसार दिनांक.....को पेश हो 15/12/24</p>

**उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)**